बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./41/एसएलबीसी/दिसम्बर 2014/242 06.06.2015

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2014 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2014 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 25.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(संजय कुमार वर्मा)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 25.02.2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2014 त्रैमास की समीक्षा बैठक **दिनांक 25.02.2015** को **"महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ** में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता **श्री रंजन धवन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई** द्वारा की गयी।

बैठक में श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन; श्री सुधीर गर्ग, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (मध्यम, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उत्तर प्रदेश शासन; श्री सुरेंन्द्र कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं श्री मुनीष, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री रंजन धवन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अमित मोहन प्रसाद, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन; श्री सुधीर गर्ग, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (मध्यम, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उत्तर प्रदेश शासन; श्री सुरेंन्द्र कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं श्री मुनीष, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश में -3000- शाखा – विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक -2868- नयी बैंक शाखाएँ खोल कर एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु सम्मिलित प्रयास किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी जिसका अनुश्रवण राज्य सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर किया जा रहा है। निश्चय ही यह शाखा- विस्तार कार्यक्रम प्रदेश में बैंकिंग सेवाओ के विस्तार तथा प्रदेश की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहायक सिद्ध होगा तथा इस प्रकार हमारे प्रदेश मे भी population per branch का मानक राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पहुँच जायेगा।

- प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम का संचालन राज्य व केन्द्र सरकार के सफल मार्गदर्शन एवं सहयोग से बैंको द्वारा पूरे उत्साह के साथ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा लगभग 1.89 करोड़ खाते खोले गये जिसमे से लगभग 1.69 करोड़ खातो में रूपे कार्ड जारी किये जा चुके है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

  हमारे प्रदेश में बैंको द्वारा सभी -27628- एस.एस.ए. व -9404- वार्डस में प्रत्येक परिवार का एक खाता खोलने का कार्य करते हुये प्रदेश के सभी -75- जनपदों को संतृप्त घोषित कर दिया गया है जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी व मिशन डायरेक्टर द्वारा -73- जनपदों मे जारी किया जा चुका है। शेष -2- जनपदों यथा आजमगढ़ व बुलन्दशहर में इस कार्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार से आवश्यक अनुरोध है।

- जहाँ तक वार्षिक ऋण योजना- 2014-15 का प्रश्न है, दिसम्बर' 2014 तक कुल रू 75982.72 करोड़ (66.11%) की उपलब्धि हासिल की गयी है जिसमे और सुधार की आवश्यकता है। मै सभी बैंकर्स व मौजूद नोडल एजेंसीज से अनुरोध करना चाहूँगा कि मार्च'2015 तक बचे हुए शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास करें ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हम शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति अर्जित कर सके। हमारे प्रदेश में विगत तिमाही के दौरान सूखा एवं बाढ़ की स्थिति (58 & 18 जनपद क्रमश:) के कारण शायद बैंको की इस उपलब्धि पर विपरीत असर पडा होगा परंतु अब अनुकूल परिस्थितियों के मद्दे नजर बैंको द्वारा प्रयास करते हुए वार्षिक ऋण योजना- 2014-15 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बुनकर क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, कामधेनु, मिनी कामधेनु योजना व कुक्कुट पालन, विशेष समन्वित योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में अभी तक की प्रगति इंगित करती है कि इन योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति हेतु बैंको व नोडल एजेंसी के द्वारा और प्रभावी प्रयासो की जरूरत है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE), LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल) लखनऊ

- प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में सूखा एवं बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभावित किसानों को आवश्यक लाभ पहुँचाने हेतु बैंको व बीमा कम्पनियों से मैं अनुरोध दोहराना चाहूँगा कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(i) विगत 23.02.2015 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर विस्तृत चर्चा हेतु एस.एल.बी.सी. की सब कमेटी की एक आवश्यक बैठक की गयी जिसमें श्री अरूण सिंघल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ.प्र. शासन एवं डॉ आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, यू.पी.एस.आर.एल.एम. की उपस्थिति प्रमुख रही। इस बैठक में इस योजना के प्रभावी क्रियांवयन हेतु रणनीति तय की गयी है ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। ।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री रंजन धवन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रदेश मे प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक लागू किये जाने पर सभी बैंकर्स व प्रदेश सरकार/भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के सहयोग हेतु बधाई दी। साथ ही साथ आगे भी इसी भाव व उत्साह के साथ काम करने के लिए सभी का आह्वान किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे उन्होने निम्न बिन्दुओं पर विशेष जोर दिया –

- भारत सरकार द्वारा GDP के आंकलन की गणना में संशोधन किये जाने के उपरांत चालू वित्तीय वर्ष में अर्थ व्यवस्था की रफ्तार में तेजी परिलक्षित होने के लक्षण हैं तथा इसके 7.40% की दर से आगे बढने का अनुमान है, जबकि विगत वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा 6.09% था। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इस वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास में अर्थ व्यवस्था की रफ्तार 7.50% रही है जो कि पिछली तिमाही के आर्थिक रफ्तार 8.20% के सापेक्ष कम है। कृषि, वानिकी व मत्स्य, खदान व निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में क्रमशः 1.10%, 2.30%, 4.50% और 6.80% की वृद्धि होने का अनुमान है।

  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 में कृषि एवं तत्सम्बन्धी गतिविधियाँ तथा सेवाओं में विकास दर क्रमशः 2.10% तथा 7.00% रहने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर लगभग 3.10% रहने की सम्भावना है। वर्ष 2014-15 की वर्तमान तिमाही में विकास दर पिछली तिमाही के सापेक्ष कुछ ज़्यादा रहने का अनुमान है।

- जहाँ तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वर्तमान में इसमें सुधारों के संकेत दिखने प्रारम्भ हुए हैं। निश्चय ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी परिलक्षित होता है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी।

  उक्त स्थितियों के परिपेक्ष्य में आज के एजेण्डा नोट में शामिल निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा।

- विगत 15.01.2013 को तत्कालीन गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा -3000- नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। माह जनवरी 2015 तक की स्थिति के अनुसार -2868- नई शाखाएं बैंकों द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर खोली जा चुकी हैं। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ0 प्र0 द्वारा सघन समीक्षा की जा रही है तथा ऐसे बैंक जिनके लक्ष्यों की पूर्ति में कुछ अवशेष है, को प्रभावी निर्देश भी दिये गये हैं। राज्य सरकार की इस शीर्ष प्राथमिकता प्राप्त योजना में सभी बैंकों द्वारा आवश्यक सहयोग हेतु मैं अपील करता हूँ ताकि 31.03.2015 तक इस कार्य को पूर्ण किया जा सके। शाखा विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ, बैंकों द्वारा चयनित केन्द्रों पर ए.टी.एम.

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल कार्यालय ZONAL OFF. (U.P.) ZONE

की स्थापना हेतु भी सघन प्रयास जरूरी है ताकि बैंकों के स्तर से और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके। सभी बैंको से अनुरोध है कि वे अपनी सभी शाखाओं में Onsite ATM लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रदेश में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिये गये ऋण तथा कृषि एवं कमज़ोर वर्गों को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत क्रमशः 55.51%, 27.17% एवं 18.10% हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों क्रमशः 40%, 18% एवं 10% के सापेक्ष काफी उच्च स्तर पर है। बैंकों द्वारा इस दिशा में नियमित प्रयास किया जाना आवश्यक है।

- माह अगस्त 2014 से बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। इस योजना के नियमानुसार प्रदेश में -27628- एस.एस.ए. तथा -9404- वाड्र्स में मौजूद सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता खोलकर पूरे प्रदेश को संतृप्त (saturate) घोषित किया गया है। आंकड़ें बताते हैं कि प्रदेश में इस कार्य में बैंकों द्वारा कुल लगभग 1.89 करोड़ नये बैंक खाते खोले गये तथा लगभग 1.69 करोड़ खातों में रुपे कार्ड जारी करने का काम भी बैंकों द्वारा किया गया है। इस योजना के अन्य बिन्दुओं जैसे कि योजना का प्रचार – प्रसार, टोल फ्री नं. की स्थापना एवं वित्तीय साक्षरता आदि में भी हमें राज्य सरकार का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है । इसी क्रम में डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत गैस उपभोक्ताओं के खातों में आधार सीडिंग का काम भी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (OMCs) के सहयोग से बैंकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

  बैंक शाखाओं में Telecom Connectivity प्रदान करने में टर्म सेल द्वारा भी हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है जिसके लिये मैं भारत संचार निगम लि. (BSNL) के वरिष्ठ अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2014 तक कुल 66.11% उपलब्धि हासिल की गयी है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष लगभग 5.56% वृद्धि दर्शाती है। कुछ बैंकों की उपलब्धि कम रही है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुए मार्च 2015 तक शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
  एस.एल.बी.सी. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित LBSMIS (विभिन्न बैंको द्वारा आँकड़ों का ऑन लाइन प्रेषण) पद्धति के आधार पर लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का समेकन किया है जिसकी समीक्षा सभी डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठक में होनी चाहिये जिससे MIS का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

  साथ ही वार्षिक ऋण योजना 2015-16 तैयार करने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा तैयार पी.एल.पी. व राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश सभी को भेजे जा चुके हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि सभी जनपदों में यह योजना तैयार कर इसे 01.04.2016 से लागू किया जाए।

- बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2014 तक लगभग 24.62 लाख मामलों में नवीनीकरण तथा 12.92 लाख मामलों में नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की गयी है जिसके लिय सभी स्टेक होल्डर्स बधाई के पात्र हैं।
  भारत सरकार द्वारा सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अनिवार्य की गयी है। अतः बैंकों तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
  यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश के कुल -58- जनपद सूखे से प्रभावित हुए तथा -18- जनपदों में बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकों व राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने की रणनीति एस.एल.बी.सी. की विशेष बैठक दिनांक 13.10.2014 में तैयार की जा चुकी है। चूँकि सूखा/बाढग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा है अतः बीमा योजनाओं का प्रभावी कवरेज किया जाना आवश्यक है ताकि प्रभावित किसानों को बीमा क्लेम का लाभ मिल सके।

- प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात सभी स्तर पर चिंता का विषय है। दिसम्बर 2014 को समाप्त अवधि के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले तिमाही (सितम्बर 2014) से इसमें 1.27% की वृद्धि हुई है तथा गत वर्ष की समान अवधि (दिसम्बर 2013) से 0.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान स्तर (53.76%) को बढा कर राष्ट्रीय मानक (60%) तक लाने हेतु बैंकों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये जिसमें राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE), LKO.

प्रदेश के -75- में से -18- जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम है। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में गठित एस.एल.बी.सी. की उप समिति द्वारा कार्ययोजना तैयार कर इन जनपदों में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करता हूँ।

- सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके परिपेक्ष्य में प्रदेश में कार्यरत बैंकों व नोडल एजेंसियों का प्रयास होना चाहिये कि सभी आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ टार्गेट ग्रुप को प्राप्त हो सके।

  मुझे अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी व कुक्कुट पालन के विकास हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे – कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना व कुक्कुट पालन विकास योजना लागू की गई है जो प्रत्यक्ष कृषि ऋण बढाने हेतु महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो समाज के कमज़ोर तबके को संगठित करके उनके सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इन सभी योजनाओं में नोडल विभाग एवं बैंकों की प्रभावी सहभागिता आवश्यक है।

- प्रदेश में बैंकों की ऋण वसूली में गिरावट चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण बैंक धनराशि की पुनर्वित्त (Recycling) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

  यहाँ पर मैं राज्य सरकार द्वारा की गयी पहल का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत सभी वसूली प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन फाइलिंग व कम्प्यूटरीकरण हेतु पैकेज तैयार कर लागू किया गया है। साथ ही SARFAESI Act 2002 के अंतर्गत भी प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये प्रभावी निर्देशों का सार्थक प्रयोग करते हुए बैंक ऋण वसूली को बढाया जाना चाहिये।

  अंत में मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आह्वान करता हूँ कि हम सभी प्रदान की गयी सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु समग्र प्रयास करें ताकि लक्ष्य समूह को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

श्री सुधीर गर्ग, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यम, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में बैंकों व सरकार के बीच सामंजस्य का उल्लेख किया तथा प्रदेश मे औद्योगिक क्षेत्र में हो रही प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में वित्त पोषण कम होने के कारण इस क्षेत्र में एन.पी.ए. भी कम है। परंतु कृषि अग्रिम अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में एन.पी.ए. का अनुपात भी बढ़ा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रदेश में बैंको द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। इसी क्रम में दो प्रमुख योजनाओं – महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना एवं पी.एम.ई.जी.पी. का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इन योजनाओं मे वैसे तो वित्त पोषण का कार्य हो रहा है परंतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है। बैंको से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करे। आवेदनपत्रों के निरस्त होने के पीछे आधारभूत कारण होना चाहिये। प्रदेश में सी.डी. अनुपात में सिर्फ 1% की बढोत्तरी चिंता का विषय है क्योकि एक बड़े प्रदेश होने के बावजूद उ.प्र. में ऋण – जमा अनुपात संतोषजनक नहीं है। हम सभी बैंकर्स का आह्वान करते है कि वे इस प्रदेश के जनमानस के हितो के लिये कार्य करें तभी प्रदेश की उन्नति होगी।

श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया –

राज्य सरकार एवं बैंकर्स के आपसी सहयोग से प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री जन –धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में सम्पूर्ण आच्छादन का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। अब वित्तीय समावेशन कार्य हेतु नयी शाखाओं का खोलना लाभप्रद प्रतीत नही हो रहा है, क्योकि लगभग हर व्यक्ति अपनी नजदीकी बैंक शाखा में अपना एवं अपने परिवार के व्यक्तियों का कम से कम एक खाता खोल ही चुका है। इन खातों में रूपे कार्ड जारी करते हुए उनका Activation बैंको को सुनिश्चित करना आवश्यक है। आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का सहयोग प्राप्त कर सकते है। उत्तर प्रदेश में

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर समिति उ० प्र० ZONAL OFFICE (U.P.) ZONE, LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

आधार सीडिंग भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है जो सीधे डी.बी.टी.एल. योजना से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में आधार सीडिंग का अनुपात बहुत ही कम है । इसमें राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है। यू.आई.डी.ए.आई. के अधिकारियो द्वारा उन स्थानो पर कैम्प लगाकर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तेज की जाये और लोगो को उसकी महत्ता बतायी जाये। प्रदेश में 65% आधार कार्ड जारी करने का प्रतिशत बहुत ही कम है।

ई- के.वाई.सी. व के.वाई.सी. का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने कहा कि बहुत से बैंक अभी भी स्वप्रमाणित पत्रों के आधार पर खाते नही खोलते। उन्होने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे गरीब, अनपढ़ व ऐसे व्यक्तियों का खाता अवश्य खोलें जिन्होने अभी तक खाते नही खोले है तभी वित्तीय समावेशन का सही उद्देश्य प्राप्त हो पायेगा।

राज्य सरकार एवं सभी बैंकर्स से अनुरोध किया गया कि वे आर - सेटी पर प्रशिक्षण हेतु उचित एवं आवश्यक कदम उठायें जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति लाभांवित हो सकें।

प्रदेश में कनेक्टिविटी मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होने टर्म सेल के अधिकारियों से आवश्यक सहयोग देने हेतु अनुरोध किया।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होने सभी बैंकर्स एवं राज्य सरकार से आपसी सामंजस्य से कार्य करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

नाबार्ड, लखनऊ के मुख्य महाप्रबन्धक श्री मुनीष ने अपने सम्बोधन में निम्न मुख्य बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये-

- प्रदेश में लगभग 2.30 करोड़ कृषक परिवारों के सापेक्ष समग्र रूप से अब तक लगभग 1.83 करोड़ कृषक परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके है। तथापि हमें उन निष्क्रिय के.सी.सी. धारको पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि उन्हें सक्रिय कर उसका लाभ सम्बन्धित कृषकों को प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ सभी के.सी.सी. धारक किसानों को फसल बीमा एवं PAIS के दायरे में शामिल किया जाये। सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित समस्त जनपदों में राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान निर्देशों के अंतर्गत प्रभावी कदम उठाये जायें जिससे प्रभावित किसानों को फसल बीमा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
- बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग -22000- बुनकर लाभांवित हुए है और लगभग -6000- नये बुनकर शामिल हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना में पात्र सभी बुनकरों को योजना का लाभ प्रदान किया जाये।
- स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी) को बैंक से जोड़ना आज के परिवेश में बैंको के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हो गया है। एस.एच.जी. के बैंक खाते खोलकर उन्हे क्रेडिट लिंकेज प्रदान करना बैंको के लिए जमा एवं अग्रिम दोनो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि यह तबका काफी गरीब होता है अतः इनके बैंक खाते खोलने में बैंको को आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिये।
- संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Groups) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रदेश में 50000 JLG को वित्त पोषण हेतु आवंटित लक्ष्यानुसार बैंक को पूरा प्रयास करना चाहिये इससे प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह भी बढ़ेगा।
- प्रदेश के बजट 2015-16 के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 को **"किसान वर्ष"** घोषित किया है अतः कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु बैंको को महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इस हेतु प्रदेश शासन की तरफ से भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है।
- बैंक ऋणों की वसूली भी समग्र रूप से एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और इस हेतु आवश्यक प्रयास किये जाने चाहिये।
- प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio) में वृद्धि निम्नतर स्तर पर होती है यद्यपि इसे बढाने की संभावनाये भरपूर है। अतः बैंको को इसे बढानें के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को CGTMSE का लाभ पहुँचाने के लिए और इनके Credit Rating के निरीक्षण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। अतः सम्बन्धित एजेंसीज द्वारा आवश्यक प्रयास किये जाने की जरूरत है।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी ।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पूर्वी उ०प्र०), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE), LKO.

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 01.12.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

विगत बैठक दिनांक 01.12.2014 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 07.02.2015 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 01.12.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. **प्रदेश के बचे -10- जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन :**

सदन को अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास विभाग को बचे हुए जनपदों मे भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। दिनांक 30.01.2015 को पंजाब नेशनल बैंक के संयोजन में हुई उप समिति की बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है।

सदन में इस बात पर भी चर्चा की गयी कि सभी -65- जनपदों में आवंटित भूमि की Lease Deed की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये। इस कार्य मे प्रदेश सरकार द्वारा सभी सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया गया।

2. राज्य के शेष सभी जनपदो मे आरसेटी की स्थापना :

चर्चा के दौरान महाप्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक ने सदन को अवगत कराया कि उनके द्वारा अपने -2- अग्रणी जनपदों में आर सेटी स्थापना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय से दिशा- निर्देशन हेतु अनुरोध किया गया है। मंत्रालय से स्पष्टीकरण मिलते ही आर सेटी स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी क्रम में सिण्डीकेट बैंक ने भी सदन को बताया कि वे अपने शेष जनपदों सम्भल तथा हापुड़ में आर सेटी स्थापना हेतु सम्भावनाओं की जाँच कर रहे है ताकि आर सेटी की स्थापना हेतु शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सदन को यह भी सूचित किया गया कि जनपद अमेठी, जनपद रायबरेली एवं सुल्तानपुर की तहसीलों को काटकर बनाया गया था तथा यहाँ अग्रणी बैंक की भूमिका के निर्वहन की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रदान की गयी है। साथ ही साथ भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जनपद अमेठी, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में आरसेटी की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को आवंटित की गयी है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अमेठी सहित इन तीनों जनपदों में आरसेटी की स्थापना का कार्य किया जा चुका है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

3. प्रधानमंत्री जन- धन योजना का सफल क्रियांवयन:

सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत बैंको द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

4. प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना :

बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार अभी तक कुल -2868- बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। सदन को अवगत कराया गया कि इस हेतु महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें शाखा स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसी क्रम में ऐसे सभी बैंको जिनकी शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति में **Gap** है, को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वे सभी अपना शाखा विस्तार कार्यक्रम अवश्य पूर्ण कर लें।

5. बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना :

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक से विस्तृत सूचना (संशोधित **MoU**) की माँग की है जिसे ग्रामीण बैंक आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेगा।

6. बुनकर क्रेडिट कार्ड (WCC) योजना:

सदन में इस विषय पर भी वृहत चर्चा हुई कि हैण्डलूम सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जायें जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकें। बैंको को यह निर्देशित किया गया कि वे बुनकरों को अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी करें एवं आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शाखा स्तर पर क्रेडिट कैम्प का आयोजन करें जिससे अधिक से अधिक पात्र बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सके।

कार्यसूची संख्या – 3

क) वित्तीय समावेशन - भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन- धन योजना के नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की उदघोषणा की गयी है। सरकार में उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस योजना की वृहत समीक्षा की जा रही है। बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक लगभग 1.89 करोड खाते खोले गये है जिनके सापेक्ष लगभग 1.68 करोड़ रूपे कार्ड जारी किये गये है। प्रदेश में इस कार्यक्रम की सफलता की सराहना वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य स्तरों पर भी की जा रही है।

ख) डी.बी.टी.एल. - इस योजना के अंतर्गत "डी.बी.टी.एल." कार्यक्रम को 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है और देश की प्रमुख Oil Marketing Companies (OMCs) तथा प्रमुख बैंको के साथ मिलकर एस.एल.बी.सी. एवं यू.आई.डी.ए.आई की उपस्थिति में इस योजना की समीक्षा लगातार की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की समीक्षा के लिए State Oversight Committee का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में योजना की वृहत समीक्षा की जाती है।

ग) शाखा विस्तार कार्यक्रम – इस कार्यक्रम हेतु एस.एल.बी.सी., संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. शासन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या – 4 (बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना)

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से 25000 नये बुनकर- क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ.प्र. द्वारा इस सन्दर्भ में सभी बैंको/ कार्यालयों को आवश्यक सूचना एवं निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

एस.एल.बी.सी. की विगत बैठक के निर्णयानुसार सिण्डीकेट बैंक के समंवयन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति का गठन किया गया है जो इस योजनांतर्गत प्रगति एवं महसूस की जा रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

बैंक स्तर पर लम्बित पड़े आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला स्तर पर कैम्प लगाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसकी अगुवाई अग्रणी जिला प्रबन्धको द्वारा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या – 5 (वार्षिक ऋण योजना 2014-15 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के अंतर्गत दिसम्बर' 2014 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति का विवरण प्रदर्शित करता है कि इस अवधि में वितरित धनराशि का प्रतिशत लक्ष्य का 66.11 % रहा हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक एवं संतोषजनक हैं।

इस उपलब्धि में तीनों प्रमुख एजेंसी यथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व को-ऑपरेटिव बैंको का योगदान प्रमुख रूप से रहा है तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक का वितरण अपेक्षाकृत कम रहा है इसीलिए इन्हे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यसूची संख्या – 6 (ऋण जमा अनुपात)

सदन में ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा हुई । बैंको से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सितम्बर'2014 के सापेक्ष दिसम्बर'2014 में ऋण जमा अनुपात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। प्रदेश में कुल -75- जनपदों में -18- जनपद ऐसे हैं जहाँ ऋण जमा अनुपात 40% से भी कम रहा है। इस हेतु यूनियन बैंक के संयोजन में

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE), LKO.

एक उप समिति का गठन किया गया है जो इन जनपदों में इस अनुपात की समीक्षा कर रही है। सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस अनुपात में गिरावट का एक प्रमुख कारण पर्यावरण का असंतुलन भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण माँग में गिरावट भी इसका प्रमुख कारण है।

कार्यसूची संख्या – 7 (पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या – 8 (किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

प्रदेश में सभी पात्र परन्तु अभी तक वंचित किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं बैंको के संयुक्त प्रयासों द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत समस्त पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ निष्क्रिय किसान क्रेडिट धारको के खातों का नवीनीकरण भी किया जाना अपेक्षित है ताकि बैंक स्तर पर कृषि ऋण में क्रमवार वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक कुल 37.54 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है जिनमे से नये जारी कार्ड -12.92- लाख है तथा कुल -24.62- लाख से अधिक कार्डो का नवीनीकरण किया गया है।

साथ ही साथ समस्त के.सी.सी. धारको को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करना भी अनिवार्य है। हाल ही में सूखे एवं बाढ़ से ग्रस्त जनपदों में सभी पात्र कृषकों का फसल बीमा करना और भी आवश्यक है, ताकि प्रभावित किसानों की फसलों को हुई क्षति की भरपाई हो सके। साथ ही चूँकि यह योजना ऋणी कृषको के लिए अनिवार्य है अतः बैंको द्वारा प्रत्येक किसान को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं 10 निजी बीमा कम्पनी अधिकृत किये गये है। ये बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम धनराशि एवं बीमित धनराशि का निस्तारण, बैंको के साथ आपसी सामंजस्य से करे। बैंको को भी यह निर्देशित किया गया कि वे प्रीमियम धनराशि का प्रेषण सम्बद्ध बीमा कम्पनी को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अवश्य कर दें। साथ ही साथ बैंक शाखाओ द्वारा बीमा कम्पनियों से क्लेम्स प्राप्त होते ही तुरंत सम्बन्धित कृषको के बैंक खातों मे समायोजित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

सभी बैंक किसानो के लिए "व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) की अनिवार्यता समझकर उन्हें इस योजना के अंतर्गत आच्छादित कराना सुनिश्चित करें।

कार्यसूची संख्या – 9 (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सन्दर्भित योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। यह बताया गया कि SIDBI की CGTMSE योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान रहा है। इसी क्रम मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की Audit Rating की चर्चा पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक ने स्पष्ट किया कि नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निरीक्षण कार्य करवाता है अतः बिना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के वे कुछ भी नही कर सकते।

इसी क्रम में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र शिल्पकारों को कवरेज दिये जाने पर भी चर्चा की गयी। सदन को बताया गया कि अद्यतन प्रगति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान -5809- शिल्पियों को यह सुविधा प्रदान की गयी है तथा अद्यतन कुल -81367- शिल्पी इस योजनांतर्गत अभी तक आच्छादित किये जा चुके है।

कार्यसूची संख्या – 10 (साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

सन्दर्भित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकवार कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति गत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष दोनो ही क्षेत्रों में बढी है।

वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खातों में ऋण वसूली वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू.379.76 करोड़ की हुई है। प्रदेश शासन व तहसील स्तर से वसूली प्रक्रिया में और सघन प्रयास व सहयोग का अनुरोध किया गया।

सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. के सहयोग से बैंको द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिसमें स्थानीय प्रयास व सहयोग अपेक्षित है। सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकांश योजनाओं में ऋण वसूली की स्थिति गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कम हुई है जो चिंता का विषय है। विभिन्न नोडल विभागों से बैंको की ऋण वसूली स्थिति में वांछित सहयोग हेतु अनुरोध किया गया ताकि इस अतिदेय राशि को पुनः बैंक ऋण के माध्यम से रिसाइकिल किया जा सके।

गैर निष्पादक आस्तियों में ऋण वसूली की स्थिति पिछले वर्ष की समान अवधि 6.28% के सापेक्ष 5.72% रही है जो मामूली गिरावट प्रदर्शित करती है। बैंको द्वारा प्रयास कर इस मानक में बेहतर स्थिति हासिल करना अपेक्षित है।

कार्यसूची संख्या – 12 (अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध मे सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। आलोच्य अवधि तक पूरे प्रदेश में बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध धनराशि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त ऋण का क्रमशः 23.52% (खाते) एवं 14.03% (धनराशि) है। साथ ही प्रदेश के चयनित -21- जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्रदत्त ऋण क्रमशः 28.02% (खाते) एवं 20.74% (धनराशि) रहा है।

कार्यसूची संख्या – 13 (स्वयं सहायता समूह)

सदन में इस बात पर वृहत चर्चा हुई कि इन समूहों को मिलने वाली वित्तीय सहायता हेतु लक्ष्य नाबार्ड द्वारा तैयार किये जाते हैं जिसका पालन बैंको द्वारा किया जाना होता है। सदन को यह बताया गया कि प्रदेश के आठ पिछड़े जनपदों में स्थानीय एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के सृजन व बैंक लिंकेज का कार्य किया जा रहा है जिसकी नियमित समीक्षा नाबार्ड द्वारा की जा रही है। स्वयं सहायता समूह को दिये जाने वाले ऋण पर स्टैम्प ड्यूटी पर छूट देने सम्बन्धी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा सदन को सूचित किया गया कि यह प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर उचित निर्णय हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यसूची संख्या – 14 (विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."

इस योजना का क्रियांवयन प्रदेश के चयनित -22- जनपदों के -22- विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति का गठन बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में किया गया है। इसी क्रम में किसानों को रू.10.00 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी फ्री करने हेतु चर्चा हुई। साथ ही निकट भविष्य में एक मैगा कैम्प का आयोजन करने पर भी चर्चा की गयी जिसमें लगभग -6000- स्वयं सहायता समूहों को लाभांवित करने पर विचार विमर्श किया गया।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम."

भारत सरकार द्वारा पूर्व मे लागू "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" को बदलकर एक नयी योजना "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" (NULM) को लागू किया गया है। एस.एल.बी.सी. द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों को सभी बैंको को प्रेषित किया जा चुका हैं। बैंको से अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

"प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी."

इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 05.01.2015 एवं दिनांक 06.02.2015 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रमुख सचिव द्वारा कुछ नोडल बैंक शाखाओं का भ्रमण भी किया गया जिसमें Micro Level Issues पर चर्चा की गयी। नोडल एजेंसी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रो का त्वरित निस्तारण करें व नोडल बैंक शाखाओं द्वारा लम्बित मार्जिन मनी दावों का निस्तारण भी शीघ्रता से करें। सदन को यह भी बताया गया कि बैंको द्वारा मार्जिन मनी के लक्ष्य न सिर्फ पूरे ही बल्कि लक्ष्य से

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0 अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO.

अधिक प्राप्त कर लिए गए है। इसी क्रम में PMEGP के आवेदन पत्रो की e- tracking करने हेतु चर्चा की गयी और **"महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना"** के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो के त्वरित निस्तारण पर भी चर्चा की गयी।

सघन मिनी डेयरी परियोजना

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट से सदन को अवगत कराया गया व नोडल एजेंसी द्वारा सभी स्वीकृत मामलों में ऋण वितरण की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करने हेतु अनुरोध किया गया।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बैंकवार प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता है। साथ ही बैंक शाखा स्तर पर आवेदन पत्रों के स्वीकृति और वितरण के बीच के अंतर को कम किया जाये तभी योजना का पूरा लाभ लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), उ.प्र. की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बैंक पात्र व्यक्तियों को वित्त पोषण कराता है। बैंको से अपेक्षा है कि राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत शत- प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। हाँलाकि अभी तक इस योजना में 70% तक की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। नोडल एजेंसी से अनुरोध किया गया कि वे बैंको द्वारा प्रेषित Interest Subsidy का क्लेम समय से बैंको को प्रेषित कर दें ताकि लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके व बैंको का एन.पी.ए. कम हो सके।

कुक्कुट (मुर्गी) पालन योजना का विकास

इस योजना के विकास हेतु नोडल एजेंसी व बैंको के समंवय से आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा की गयी।

कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना

चर्चा के दौरान सदन को यह बताया गया कि प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बैंको से यह भी अनुरोध किया गया कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करें।

कार्यसूची संख्या – 15 (सरकार की नयी योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण)

कृषि योजनाओं के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुछ नयी योजनाओं को लागू किया गया हैं। इन योजनाओं की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या – 16 (शैक्षिक ऋण)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में शैक्षिक ऋण के अंतर्गत बैंको को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे है। बैंको से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंको द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति शत प्रतिशत सुनिश्चित की गयी है।

कार्यसूची संख्या – 17 (बैंको के विरूद्ध अपराध)

बैंको में हुए विभिन्न आपराधिक मामलो जैसे लूट की घटनाएँ, कर्मचारियों के साथ आपराधिक कृत्य इत्यादि पर सदन में वृहद चर्चा की गयी। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न शाखाओं मे घटित लूट की वारदातो की स्थिति पर भी चर्चा हुयी। पुलिस विभाग को यह निर्देश दिया गया कि विभिन्न घटित घटनाओं की समीक्षा कर सभी लम्बित प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एवं लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

सभा के अंत मे श्री एस. के. माथुर, महाप्रबन्धक, केनरा बैंक ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।